

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

पब्लिक से कहा खरीदो, खुद बेच दिया स्टॉक ! कौन है संजीव भसीन, जिनपर SEBI ने लगाया बैन ?

Publisher

Published on 18 Jun 2025



SEBI की जांच में हुआ बड़ा खुलासा — शेयर खरीदने की सलाह देकर खुद चुपचाप बेचते थे संजीव भसीन, निवेशकों को हुआ करोड़ों का नुकसान ।

नई दिल्ली : देश के चर्चित स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन (Sanjiv Bhasin) पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने कड़ा एक्शन लिया है । SEBI की जांच में खुलासा हुआ है कि भसीन ने टीवी, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर जो शेयर पब्लिक को खरीदने की सलाह दी, उन्हीं शेयरों को पहले खुद खरीद लिया और पब्लिक के खरीदते ही उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया ।

SEBI ने इसे “धोखाधड़ी” करार देते हुए भसीन पर मार्केट से प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें ₹11.37 करोड़ की अवैध कमाई निवेशकों को लौटाने का आदेश भी दिया गया है ।

SEBI की रिपोर्ट में क्या कहा गया ?

SEBI की जांच के अनुसार, संजीव भसीन निम्नलिखित 3 संस्थाओं के जरिए यह ट्रेडिंग कर रहे थे:

1. Gemini Portfolios Pvt. Ltd.
2. Venus Portfolios Pvt. Ltd.
3. HB Stock Holdings Ltd.

वे अपने पब्लिक 'BUY कॉल' से पहले इन अकाउंट्स में शेयर खरीद लेते थे । जब उनके कॉल से शेयर की कीमतें ऊपर जातीं,

तब वे उसी शेयर को बेचकर मुनाफा कमा लेते थे। यह कृत्य 'फ्रंट रनिंग' की श्रेणी में आता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है।

कौन हैं संजीव भसीन ?

१. पूर्व डायरेक्टर, IIFL Securities
२. 1985 से स्टॉक मार्केट में सक्रिय
३. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक
४. Deutsche Bank, HB Group जैसे संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर कार्य
५. सोशल मीडिया और टेलीविजन पर शेयर मार्केट टिप्स के लिए प्रसिद्ध
६. स्मॉलकैस जैसे प्लेटफॉर्म पर रिटेल निवेशकों के लिए मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किए

निवेश रणनीति कैसी थी ?

१. भसीन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में:
२. 50-55% निवेश ब्लू चिप कंपनियों में
३. 30% कैश ताकि मार्केट में गिरावट पर तत्काल निवेश किया जा सके
४. शुरुआती दौर में ग्लैक्सो जैसी कंपनियों में निवेश कर बनाई पहचान
५. अक्सर बाजार को लेकर आक्रामक और आत्मविश्वासी टिप्पणियां करते रहे

SEBI का आदेश: मार्केट से बैन और पैसे लौटाने का फरमान

१. SEBI ने अपने आदेश में कहा है कि:
२. संजीव भसीन अब किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयरों में ट्रेड नहीं कर सकेंगे
३. उन्हें और उनके संबंधित अकाउंट्स को मार्केट से बैन कर दिया गया है
४. कुल ₹11.37 करोड़ की रकम 15 दिन के भीतर निवेशकों को वापस लौटानी होगी।
५. 'अगर भुगतान में देरी होती है, तो ब्याज सहित वसूली की जाएगी'

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है ?

यह मामला भारत के शेयर बाजार के लिए एक बड़ा सबक है। सोशल मीडिया या टीवी पर दिखने वाले 'एक्सपर्ट्स' के कहे पर आंख मूंदकर निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। इस घटना से यह स्पष्ट है कि कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए मासूम निवेशकों को गुमराह करते हैं।

SEBI की इस कार्रवाई से बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश गया है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com